नीलामी की सूचनाः-

प्रन्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग,गाजीपुर के पत्र सं0. 1593/1भवन दिनांक 03.06.2023 व कार्यालय जिला अधिकारी गाजीपुर के पत्र सं0 805/15- जे0ए/2023 दिनांक 11.12.2023 तथा पुलिस मुख्यालय के पत्र सं0 ग्यारह विविध 2020 दिनांक 22.12.2023 के द्वारा पुलिस लाइन परिसर में स्थित निष्प्रयोजय पुराने / जर्जर आरक्षी बैरक का की नीलामी दिनांक 18./01/2024 को समय 11.00 बजे पुलिस लाइन परिसर जनपद गाजीपुर मे किया जाना प्रस्तावित है। अतएव निर्धारित तिथि को पात्र जो ठेकेदार बोली लगाने के इच्छुक हो वह पुलिस लाइन परिसर मे उपस्थित होकर बोली लगा सकते है नीलामी की शर्तें निम्नवत हैः-

1. नीलामी में बोली लगाने से पुर्व जमानत धनराशि रूपये 20000/- जमा करनी होगी,जो उच्चतम बोलीदाता को छोड़कर अन्य सभी को तुरन्त जमानत धनराशि वापस कर दी जायेगी।
2. नीलामी की धनराशि तत्काल बोली समाप्ति पर जमा करनी होगी तथा बोली की धनराशि से अलग 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अनिवार्यतःजमा करना होगा।
3. ब्लैकलिस्टेड ठेकेदार बोली लगाने का हकदार नही होगा।
4. सबसे अधिक बोली लगाने वाला व्यक्ति / ठेकेदार द्वारा यदि 03 दिवस के अन्दर भुगतान नही किया जाता है तो जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
5. किसी भी बोली/ नीलीमी को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा।
6. उच्चतम बोलीदाता को नीलामी के भवन का ध्वस्तीकरण की अनुमति तब तक नही दि जायेगी जब तक कि सर्वोच्चय बोली मे बोली गयी धनराशि व धनराशि का 18 प्रतिशत GST बोलीदाता के द्वारा जमा नही कर दिया जायेगा ।
7. किसी वाद- विवाद के स्थिती मे अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अन्तिम होगा और निर्णय के विरूद्ध किसी भी मा0 न्यायालय मे व उच्चाधिकारीयो के समक्ष न्याय हेतु जाने का अधिकारी नही होगा।
8. जो ठेकेदार उक्त भवन को निलामी मे क्रय करेगा वही ठेकेदार ध्वस्तीकरण के उपरान्त सम्पुर्ण मलबा उठा कर साफ-सफाई करायेगा।
9. नीलामी से सम्बन्धित दिशा-निर्देश पुलिस लाइन स्थित जी0पी0 स्टोर गाजीपुर से प्राप्त कर सकते है।

पत्र संख्याः-न-38/2023
दिनांक 06 . 01.2024

पुलिस अधीक्षक,
गाजीपुर।

प्रतिलिपिः-

1.समस्त पुलिस आयुक्त,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक एवं सेनानायक पी0ए0सी0उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. जिला सूचना अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

3. समस्त क्षेत्राधिकाकी व प्रतिसार निरीक्षक, लाइन्स को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावही हेतु प्रेषित।

4.प्रधान लिपिक को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

5.आंकिक / सीसीटीएनएस सेल / कैश कार्यालय पुलिस लाइन, जनपद गाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6. प्रभारी मिडिया सेल को इस निर्देश के साथ की उक्त निलामी की सूचना को Www.uppolice.gov.inवेबसाइट पर अपलोड़ करना सूनिश्चित करें।

7.सम्पादक अमर उजाला,जनसदेश टाइम्स दैनिक समाचर पत्र गाजीपुर को इस आशय से कि उक्त नीलामी सूचना का प्रकाशन सरकारी दर अतिशीघ्र कराकर उसकी एक प्रति बिल सहित एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराये।

8. रेडियो निरीक्षक, गाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु।